रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 1998/ज्येष्ठ 1, 1920
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 1998/JYAISTHA 1, 1920

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी,1998

सा. का. नि. 260 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (प्रथम संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

"419 क (1) : भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी संदेश या वर्ग के संदेशों को अंतर्रुद्ध करने के लिए निदेश भारत सरकार के सचिव या किसी राज्य सरकार की दशा में गृह विभाग के भारसधक उस राज्य सरकार के सचिव द्वारा किए गए आदेश के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। आपातिक मामलों में ऐसे आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से ऊपर के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किए जा सकेंगे" जिसे, यथापि संघ के गृह सचिव द्वारा या राज्य गृह सचिव द्वारा सम्यकत: प्राधिकृत किया गया है। ऐसे आदेश की एक प्रति सात दिन के भीतर संबंधित पुनर्विलोकन समिति को भेजी जाएगी :

परन्तु आपातिक मामलों में—

(i) दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां संदेशों या किसी वर्ग के संदेशों के अंतारो के लिए पूर्व निदेशों का प्राप्त किया जाना साध्य नहीं है;

(ii) कार्य चालन संबंधी कारणों से, जहां संदेशों या किसी वर्ग के संदेशों के अंतारोधन के लिए पूर्व निर्देशों का प्राप्त किया जाना साध्य नहीं है, वहां संबंधित अधिकारी संदेशों या वर्ग के संदेशों के लिए अपेक्षित अंतारोधन पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी से उसकी पुष्टि के अधीन रहते हुए, कर सकता है;

2. अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन निर्देश जारी करते समय अन्य साधनों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगा और उपधारा (1) के अधीन निर्देश केवल तभी जारी किए जाएंगे जब किसी अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा जानकारी प्राप्त करना साध्य नहीं है।

3. निदेशित अंतारोधन, ऐसे किसी संदेश या वर्ग के संदेशों का अंतारोधन होगा, जो किसी व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों को या से भेजे जाते हैं या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं, चाहे ऐसा संदेश या वर्ग के संदेश आदेश में विनिर्दिष्ट एक या अधिक पतों पर प्राप्त होते हैं, जो ऐसा पता या ऐसे पते हैं, जिसका/जिनका आदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को या से या आदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित किसी विशिष्ट परिसरों के सेट को या से संसूचनाओं के परेषण के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।

4. निर्देशों में उस अधिकारी या प्राधिकारी के नाम और पदनाम का विशेष रूप से उल्लेख होगा, जिसको अंतारूद्ध संदेश या वर्ग के संदेश प्रकट किए जाएंगे और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि अंतारूद्ध संदेश या वर्ग के संदेशों का उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन प्रयोग किया जाएगा और अंतारूद्ध संदेश अथवा वर्ग के संदेशें की प्रतियां अधिक समय तक अपेक्षित न होने पर नष्ट कर दी जाएंगी ।

5. अंतारोधन के लिए निर्देश, जब तक कि पूर्व में वापस न ले लिए गए हों, जारी किए जाने की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे और उनका नवीकरण किया जा सकता है, किन्तु वे एक सौ अस्सी दिन की कुलावधि से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे।

6. अंतारोधन के लिए निर्देश जारी करने वाला अधिकारी तार प्राधिकारी से लिखित में अनुरोध भी करेगा, जो निर्देशों में उल्लिखित अंतारोधन के लिए सुविधाएं और सहयोग का विस्तार करेगा।

7. किसी संदेश या वर्ग के संदेशों को अंतर्रूद्ध करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उचित अभिलेख रखेगा, जिसमें अंतर्रूद्ध संदेश या वर्ग के संदेश उस व्यक्ति की विशिष्टियां, जिसका संदेश अंतर्रूद्ध किया गया है, उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और अन्य विशिष्टियां जिसे अंतर्रूद्ध संदेश या वर्ग के संदेश प्रकट किए गए हैं, अंतर्रूद्ध संदेश या वर्ग के संदेशों की, की गई प्रतियों की संख्या और वह रीति और पद्धति, जिसके द्वारा ऐसी प्रतियां की गई हैं, प्रतियों को नष्ट करने की तारीख और वह अवधि, जिसके भीतर निर्देश प्रवृत्त रहते हैं, का उल्लेख किया जाएगा।

8. यथास्थित, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
(ख) सचिव, भारत सरकार भारसाधक, विधि कार्य	सदस्य
(ग) सचिव, भारत सरकार संचार मंत्रालय	सदस्य

राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली पुनर्विलोकन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख) विधि सचिव, विधि परामर्शी	सदस्य
(ग) सचिव, राज्य सरकार (गृह सचिव को छोड़कर)	सदस्य

9. पुनर्विलोकन समिति, निर्देश जारी किए जाने से साठ दिन की अवधि के भीतर स्वप्रेरण से आवश्यक जांच-पड़ताल और अन्वेषण करेगी और इस संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि क्या धारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देश अधिनियम कीधारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं। जब पुनर्विलोकन समिति का यह मत हो कि निदेश ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अनुरूप नहीं है तब यह निदेशों को उपास्त कर सकती है और अंतर्रूद्ध संदेश या वर्ग के संदेशों की प्रतियां नष्ट करने का आदेश दे सकती है।

[फा. सं. 9-70/96-पी. एच. ए. (पी. एच. पी.)]

एन. आर. मोखरी वाले,वरिष्ठ उप महानिदेशक (सी. एस.)।

पाद टिप्पण :—तारीख 1-9-1984 तक यथासंशोधित मूल नियम, डाकतार निदेशिका, खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग 2, छठे संस्करण में प्रकाशित किए गए हैं और इनमें बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं :—

1. सा. का. नि. 428, तारीख 27-4-1985
2. सा. का. नि. 729, तारीख 3-8-1985
3. सा. का. नि. 982, तारीख 19-10-1985
4. सा. का. नि. 553 (अ), तारीख 27-3-1986
5. सा. का. नि. 314, तारीख 26-4-1986

6. सा. का. नि. 953 (अ), तारीख 22-7-1986
7. सा. का. नि. 566, तारीख 26-7-1986
8. सा. का. नि. 112 (अ), तारीख 28-11-1986
9. सा. का. नि. 167 (अ), तारीख 28-11-1986
10. सा. का. नि. 1217 (अ), तारीख 28-11-1986
11. सा. का. नि. 112 (अ), तारीख 25-2-1987
12. सा. का. नि. 377 (अ), तारीख 9-4-1987
13. सा. का. नि. 674 (अ), तारीख 27-7-1987
14. सा. का. नि. 719 (अ), तारीख 18-8-1987
15. सा. का. नि. 837 (अ), तारीख 5-10-1987
16. सा. का. नि. 989 (अ), तारीख 17-12-1987
17. सा. का. नि. 337 (अ), तारीख 11-3-1988
18. सा. का. नि. 301 (अ), तारीख 21-3-1988
19. सा. का. नि. 626 (अ), तारीख 17-5-1988
20. सा. का. नि. 660 (अ), तारीख 30-5-1988
21. सा. का. नि. 693 (अ), तारीख 16-6-1988
22. सा. का. नि. 734 (अ), तारीख 24-6-1988
23. सा. का. नि. 606, तारीख 14-8-1988
24. सा. का. नि. 812 (अ), तारीख 26-7-1988
25. सा. का. नि. 888 (अ), तारीख 1-9-1988
26. सा. का. नि. 985 (अ), तारीख 20-12-1990
27. सा. का. नि. 916 (अ), तारीख 9-9-1988
28. सा. का. नि. 1954 (अ), तारीख 02-11-1988
29. सा. का. नि. 179 (अ), तारीख 16-2-1989
30. सा. का. नि. 358 (अ), तारीख 15-03-1989
31. सा. का. नि. 622 (अ), तारीख 14-06-1989
32. सा. का. नि. 865 (अ), तारीख 29-09-1989
33. सा. का. नि. 413 (अ), तारीख 29-03-1990
34. सा. का. नि. 574 (अ), तारीख 15-06-1990
35. सा. का. नि. 933 (अ), तारीख 03-12-1990
36. सा. का. नि. 74 (अ), तारीख 17/18-01-1991
37. सा. का. नि. 560 तारीख 26-05-1992
38. सा. का. नि. 543 (अ), तारीख 27-06-1994
39. सा. का. नि. 516 (अ), तारीख 22-06-1995
40. सा. का. नि. 696 (अ), तारीख 10-10-1995
41. सा. का. नि. 818 (अ), तारीख 28-12-1995
42. सा. का. नि. 79 (अ), तारीख 17-01-1996
43. सा. का. नि. 133 (अ), तारीख 15-03-1996
44. सा. का. नि. 255 (अ), तारीख 17-06-1996
45. सा. का. नि. 499 (अ), तारीख 04-10-1996

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 1998

G. S. R. 260 (E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (First Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

"419. A(1) : Directions for interception of any message or class of messages under sub-section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act, 1885 (hereinafter referred to as the said act) shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Goverment of India and by the Secretary to the State Government in charge of the Home Department in the case of a State Government. In emergent cases such order may be made by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, who has been duly authorised by the Union Home Secretary or the State Home Secretary, as the case may be. Such order shall contain reasons for such direction. A copy of such order shall be forwarded to the concerned Review Committee within a period of seven days :

Provided that in emergent cases :

(i) in remote areas, where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible; or

(ii) for operational reasons, where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible

the officer concerned may carry out the required intereception of messages or class of messages subject to its confirmation from the concerned competent officer within a period of fifteen days.

(2) While issuing directions under sub-rule (1) the officer shall consider possibility of acquiring the necessary information by other means and the directions under sub-rule (1) shall be issued only when it is not feasible to acquire the information by any other reasonable means.

(3) The interception directed shall be interception of any message or class of messages as arae sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject whether such message or class of messages are received with one or more addresses, specified in the order, being an address or addresses likely to be used for the transmission of communications from or to one particular person specified or described in the order or one particular set or premises specified or described in the order.

(4) The directions shall specify the name and designation of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages is to be disclosed and also specify that the use of intercepted message or class of messages shall be subject to the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act and the copies of the intercepted message or class of messages shall be destroyed when no longer required.

(5) The directions for interception shall remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding ninety days from the date of issue and may be renewed but same shall not remain in force beyond a total period of one hundred and eighty days.

(6) The officer issuing the directions for interception shall also make a request in writing to the Telegraph Authority who shall extend the facilities and cooperation for interception mentioned in the directions.

(7) The officer authorised to intercept any message or class of messages shall maintain proper records mentioning therein, the intercepted message or class of messages, the particulars of persons whose message has been intercepted, the name and other particulars of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed, the number of copies of the intercepted message or class of messages made and the modes or the method by which such copies are made, the date of destruction of the copies and the duration within which the directions remain in force.

(8) The Central Govt. and the State Govt., as the case may be, shall constitue a Review Committee. The Review Committee to be constituted by the Central Govt. shall consist of the following, namely:

(a)	Cabinet Secretary	..	Chairman
(b)	Secretary to the Govesrnment of India Incharge, Legal Affairs	..	Member
(c)	Secretary to the Government of India Ministry of Telecommunications	..	Member

The Review Committee to be constitued by a State Govt. shall consist of the following, namely :

(a)	Chief Secretary	..	Chairman
(b)	Secretary Law/Legal Remembrancer	..	Member
(c)	Secretary to the State Government (other than the Home Secretary)	..	Member

(9) The Review Committee within a period of sixty days from the issue of the directions shall suo-moto make necessary enquires and investigations and record its findings whether the directions issued under sub-rule (1) are in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 5 of the Act. When the Review Committee is of the opinion that the directions are not in accordance with the provisions referred to above, it may set aside the directions and order for destruction of the copies of the intercepted message or class of messages.

[F.No. 9—70/96-PHA(PHP)]

N.B. MOKHARIWALE, Sr.Dy. Director Genl. (CS)

Foot Note :— The principal rules, as amended upto 01-09-1984 have been published in P&T Manual Vol..I, legislative enactments, Part II, Sixth edition and these have been subsequently as under:

1. G.S.R. 428 dated 27-04-1985
2. G.S.R. 729 dated 03-08-1985
3. G.S.R. 982 dated 19-10-1985
4. G.S.R. 553(E) dated 27-03-1986
5. G.S.R. 314 dated 26-04-1986
6. G.S.R. 953(E) dated 22-07-1986
7. G.S.R. 566 dated 26-07-1986
8. G.S.R. 1121(E) dated 28-11-1986
9. G.S.R. 167(E) dated 28-11-1986
10. G.S.R. 1237(E) dated 28-11-1986
11. G.S.R. 112(E) dated 25-2-1987
12. G.S.R. 377(E) dated 09-04-1987
13. G.S.R. 674(E) dated 27-07-1987
14. G.S.R. 719(E) dated 18-08-1987
15. G.S.R. 837(E) dated 05-10-1987
16. G.S.R. 989(E) dated 17-12-1987
17. G.S.R. 337(E) dated 11-03-1988
18. G.S.R. 301(E) dated 21-03-1988
19. G.S.R. 626(E) dated 17-05-1988
20. G.S.R. 660(E) dated 30-05-1988
21. G.S.R. 693(E) dated 16-06-1988
22. G.S.R. 734(E) dated 24-06-1988
23. G.S.R. 606(E) dated 14-08-1988
24. G.S.R. 812(E) dated 26-07-1988
25. G.S.R. 888(E) dated 01-09-1988
26. G.S.R. 985(E) dated 20-12-1990
27. G.S.R. 916(E) dated 09-09-1988
28. G.S.R. 1054(E) dated 02-11-1988
29. G.S.R. 179 dated 16-02-1989
30. G.S.R. 358(E) dated 15-03-1989
31. G.S.R. 622(E) dated 14-06-1989
32. G.S.R. 865(E) dated 29-09-1989
33. G.S.R. 413(E) dated 29-03-1990
34. G.S.R. 574(E) dated 15-06-1990
35. G.S.R. 933(E) dated 03-12-1990
36. G.S.R. 74 dated 17/18-01-1991
37. G.S.R. 560(E) dated 24-05-1992
38. G.S.R. 543(E) dated 27-06-1994
39. G.S.R. 516(E) dated 22-06-1995
40. G.S.R. 696(E) dated 10-10-1995
41. G.S.R. 818(E) dated 28-12-1995
42. G.S.R. 79(E) dated 17-01-1996
43. G.S.R. 133(E) dated 15-03-1996
44. G.S.R. 255(E) dated 17-06-1996
45. G.S.R. 499(E) dated 04-10-1996

1391-GI/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.